


**न्यायालय:- विशेष न्यायाधीश, अजा/अजजा अत्याचार निवारण)  
अधिनियम, पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर.**

**सूचना पत्र**

माननीय उच्च न्यायालय म. प्र. जबलपुर के परिपत्र क्रमांक B/2655 दिनांक 24-07-2020 में प्रसारित दिशा-निर्देशों एवं जिला अभिभाषक संघ मण्डलेश्वर द्वारा प्रस्तुत पत्र क्रमांक 11/2020 दिनांक 07.05.2020 के अनुसार बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के कारण एवं सोशल डिस्टेंसिंग के चलते अधिवक्तागण द्वारा वी.सी. के माध्यम से तथा न्यायालयों में उपस्थित होकर न्यायिक कार्य करने में असमर्थता व्यक्त किये जाने के कारण दिनांक 27.07.2020 से 31.07.2020 तक इस न्यायालय में लंबित समस्त दिवानी एवं आपराधिक प्रकरण निम्न सारणी अनुसार आगामी नियत दिनांक को सुनवाई में लिये जावेंगे:-

अ.क्र.	पेशी दिनांक	आगामी नियत दिनांक
1.	27.07.2020	07.09.2020
2.	28.07.2020	08.09.2020
3.	29.07.2020	09.09.2020
4.	30.07.2020	10.09.2020
5.	31.07.2020	11.09.2020

तदनुसार समस्त अधिवक्तागण एवं पक्षकारगण सूचित हों।

  
27/7/2020  
वास्ते- विशेष न्यायाधीश,  
अजा/अजजा (अत्याचार निवारण) अधिनियम,  
1989, पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर

**न्यायालय:- विशेष न्यायाधीश, अजा/अजजा (अत्याचार  
निवारण) अधिनियम, पश्चिम निमाड, मण्डलेश्वर.**

**सूचना पत्र**

माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के परिपत्र क्रमांक बी/2655 दिनांक 24.07.2020 में प्रसारित दिशा-निर्देशों एवं जिला अभिभाषक संघ मण्डलेश्वर द्वारा प्रस्तुत पत्र क्रमांक 11/2020 दिनांक 07.05.2020 कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग के चलते अधिवक्तागण द्वारा वी.सी. के माध्यम से तथा न्यायालयों में उपस्थित होकर न्यायिक कार्य करने में असमर्थता व्यक्त किये जाने के कारण इस न्यायालय में विचाराधीन संलग्न सूची अनुसार आपराधिक एवं दिवानी प्रकरण जो अंतिम तर्क, अभियुक्त कथन, बचाव साक्ष्य, आदेश एवं निर्णय की अवस्था के प्रकरण निम्नांकित सूची में दर्शायी गयी तिथियों पर सुनवाई में लिये जावेंगे ।

**आपराधिक प्रकरण**

अ0क्र0	प्रकरण क्रमांक	पक्षकार का नाम	स्टेज	आगामी पेशी दिनांक	रिमार्क
1	वि.सत्र प्र. 30/2011	शासन वि सौभागचंद वगैरह	अंतिम तर्क	05.08.2020	उभयपक्ष अनुपस्थित
2	सत्र प्र 197/2011	शासन वि दयाराम वगैरह	अंतिम तर्क	05.08.2020	उभयपक्ष अनुपस्थित
3	सत्र प्र 59/2014	शासन वि रामपाल	अभियुक्त कथन	06.08.2020	उभयपक्ष अनुपस्थित

तदनुसार समस्त अभिभाषकगण एवं पक्षकारगण सूचित हो।

*J. H. Sawar*  
(साधना माडेवरी)  
विशेष न्यायाधीश,  
27/7/2020

अजा/अजजा (अत्याचार निवारण) अधिनियम  
1989, पश्चिम निमाड मण्डलेश्वर

न्यायालय :- श्री अरुण कुमार खरादी द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
पश्चिम निमाड मण्डलेश्वर (म0प्र0)

// सूचना-पत्र //

माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा एडवायजरी/निर्देश सर्कुलर क्र. बी/2655 जबलपुर, दिनांक 24.07.2020 एवं सर्कुलर क्र. डी/2377 जबलपुर दिनांक 27.06.2020 तथा सर्कुलर क्रमांक क्यू 12 दिनांक 04.05.2020 द्वारा दिशा निर्देशों के अनुसार दिनांक 31.07.2020 तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है, के अनुपालन में समस्त सम्माननीय अधिवक्तागण एवं संबंधित पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि दिनांक **27.07.2020 से 31.07.2020** तक **इस न्यायालय** में सुनवाई हेतु नियत समस्त सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों में (अत्यावश्यक प्रकृति के प्रकरण जमानत आवेदन पत्र/निषेधाज्ञा संबंधित आवेदन पत्रों एवं अंतिम तर्क हेतु नियत प्रकरणों को छोड़कर) निम्नानुसार आगामी तिथि नियत की जाती है:-

क.	नियत पेशी दिनांक	आगामी नियत पेशी दिनांक
1.	27.07.2020	23.09.2020
2.	28.07.2020	24.09.2020
3.	29.07.2020	25.09.2020
4.	30.07.2020	28.09.2020
5.	31.07.2020	29.09.2020



(अरुण कुमार खरादी)  
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
पश्चिम निमाड मण्डलेश्वर (म.प्र.)  
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश  
प नि मण्डलेश्वर

**न्यायालय:-प्रवीण हजारे, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,**  
**प0नि0 मण्डलेश्वर(म.प्र.)**

क. 290/2020

मण्डलेश्वर, दिनांक 27.07.2020


कोरोना वायरस (कोविड-19) के संबंध में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा जारी सर्कुलर क्र. बी/2655 जबलपुर दिनांक 24.07.2020 के पालन में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व आदेश की निरंतरता की अवधि दिनांक 27.07.2020 से 31.07.2020 तक बढ़ायी जाने से समय-समय पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशानुसार **समस्त प्रकरणों में पक्षकारगण के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से विरत रहने के निर्देश दिये गये हैं तथा उक्त दिनाकों में नियत समस्त प्रकरणों में आगामी तिथि निम्नानुसार निर्धारित की जाती है।**

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार केवल जमानत संबंधी प्रकरण एवं अंतिम तर्क हेतु नियत प्रकरण एवं स्थगन से संबंधित अति आवश्यक कार्य ही किया जावेगा। साथ ही इस न्यायालय में अंतिम तर्क की स्टेज पर नियत प्रकरण पूर्व से नियत दिनांक को विडियो कांफ्रेसिंग द्वारा या लिखित तर्क पेश कर सुनवाई में लिये जा सकेंगे एवं शेष कार्यवाहियों से संबंधित समस्त प्रकरणों में नीचे दर्शाए गए नियत दिनाकों में नियत प्रकरणों में उनके सम्मुख अंकित नियत दिनांक को यथास्थिति सुनवाई हेतु ग्राह्य किए जायेंगे।

**नियत दिवानी प्रकरणों की तिथियाँ**

क्रमांक	नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक
01	27.07.2020	07.09.2020
02	28.07.2020	08.09.2020
03	29.07.2020	09.09.2020
04	30.07.2020	10.09.2020
05	31.07.2020	11.09.2020

इस आदेश की एक प्रति इस न्यायालय के सूचना पटल पर तथा दूसरी जिला न्यायालय के मुख्य द्वार के सूचना पटल पर चस्पा की जाये।

  
( प्रवीण हजारे )

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर

सुधीर सिंह निगवाल  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी  
बडवाह, पश्चिम निमाड़ (म.प्र.)

जिला एवं सत्र न्यायालय  
पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर

दिनांक 27 JUL 2020

न्यायालय-सुधीरसिंह निगवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं  
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बडवाह जिला- मण्डलेश्वर प0 नि0

आमद क्रमांक.....  
प्रशासनिक अधिकारी

### -:आवश्यक सूचना:-

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के एडवायजरी/निर्देश के अनुपालन में सर्वसाधारण तथा इस न्यायालय के प्रकरणों से संबंधित समस्त अभिभाषकगण को सूचित किया जाता है की कोरोना वायरस के संक्रमण को रोके जाने हेतु सुरक्षात्मक दृष्टि से दिनांक 27/07/2020 से दिनांक 31/07/2020 तक समस्त सिविल एवं आपराधिक मामलों से संबंधित सभी प्रकरणों में अग्रिम पेशी दिनांक निर्धारित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः (अपरिहार्य स्थिति जैसे रिमाण्ड जमानत शीघ्र सुनवाई तथा निवेधाज्ञा मामले तथा अंडर ट्रायल अभियुक्तगण के मामले को छोड़कर) सभी सिविल एवं आपराधिक प्रकरण निम्नलिखित दिनांक 27/07/2020 से दिनांक 31/07/2020 तक के सिविल एवं आपराधिक प्रकरण निम्नलिखित दिनांक के सामने लिखी नवीन अग्रिम दिनांक को सुनवाई पर लिये जायेंगे।

इस हेतु अभिभाषकगण अपने अपने पक्षकारों को अपने स्तर पर अवगत कराने का कष्ट करें।

सिविल एवं आपराधिक दोनों प्रकरणों हेतु अग्रिम नवीन दिनांक			जेल में निरूद्ध बंदियों के समस्त प्रकरण
क्रमांक	पेशी दिनांक	आगामी पेशी दिनांक	आगामी पेशी दिनांक
1	27/07/20	07/09/20	-
2	28/07/20	08/09/20	-
3	29/07/20	09/09/20	10/08/20

(सुधीर सिंह निगवाल)  
सुधीर सिंह निगवाल  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी  
बडवाह, पश्चिम निमाड़ (म.प्र.)

न्यायालय :- जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाड मण्डलेश्वर  
(म.प्र.)

मण्डलेश्वर, दिनांक 27.07.2020

// सूचना //

कोरोना वायरस(कोविड-19) के संबंध में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा जारी सर्कुलर क्रमांक बी/2655, जबलपुर दिनांक 24.07.2020 एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, पश्चिम निमाड मण्डलेश्वर के पृष्ठांकन क्रमांक ...../लेखा/2020, मण्डलेश्वर दिनांक 27.07.2020 के पालन में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी पूर्व के सर्कुलर क्रमांक डी/2377, दिनांक 27.06.2020, क्यू/12 दिनांकित 04.05.2020, एवं अन्य सर्कुलरस एवं क्लेरीफिकेशन को दिनांक 27.07.2020 से दिनांक 31.07.2020 तक बढ़ाये जाने से तथा समय-समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों अनुसार समस्त प्रकरणों में पक्षकारगण के व्यक्तिगत रूप से होने से विरत रहने के निर्देश दिये गये है।

तदनुसार इस न्यायालय में नीचे दर्शाये गये नियत दिनाकों में नियत प्रकरणों को उनके सम्मुख अंकित नियत दिनाकों को यथास्थिति सुनवाई हेतु ग्राह्य किये जावेंगे -

### सिविल एवं आपराधिक प्रकरण

(जमानत, अपील एवं अन्य प्रकरण जो अंतिम तर्क की स्टेज पर है, को छोडकर)

क्र.	नियत तिथि	सिविल आगामी तिथि	आपराधिक आगामी तिथि
1.	27.07.2020	11.09.2020	11.09.2020
2.	28.07.2020	14.09.2020	14.09.2020
3.	29.07.2020	15.09.2020	15.09.2020
4.	30.07.2020	16.09.2020	16.09.2020
5.	31.07.2020	18.09.2020	18.09.2020



(बी0आर0 पाटिल)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
पश्चिम निमाड, मण्डलेश्वर